सारणी III.26: निवल अग्रिमों के साथ निवल गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वितरण

(मार्च के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/निवल अग्रिम	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
10 प्रतिशत तक	22	22	24	25	27
10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	5	5	3	2	-
20 प्रतिशत से अधिक	-	-	-	-	-
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**24**	**23**	**22**	**21**	**20**
10 प्रतिशत तक	18	16	17	19	18
10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	5	4	3	1	2
20 प्रतिशत से अधिक	1	3	2	1	-
निजी क्षेत्र के नये बैंक	**8**	**8**	**8**	**9**	**10**
10 प्रतिशत तक	8	8	8	8	9
10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	-	-	-	1	-
20 प्रतिशत से अधिक	-	-	-	-	1
भारत में विदेशी बैंक	**42**	**42**	**40**	**36**	**33**
10 प्रतिशत तक	31	31	26	28	27
10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	7	6	5	4	2
20 प्रतिशत से अधिक	4	5	9	4	4

हो गयी। वर्ष 2002-03 के साथ तुलना करने पर निजी बैंकों के संबंध में कृषि क्षेत्र संबंधी गैर-निष्पादक आस्तियों का अंश कम रहा। तथापि, लघु उद्योग और अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के संबंध में गैर-निष्पादक आस्तियों के अंश में वृद्धि हो गयी जिससे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की उनकी समग्र गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि हो गयी। निजी बैंकों की कुल गैर-निष्पादक आस्तियों में गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की गैर-निष्पादक आस्तियों में 2002-03 की तुलना में गिरावट आ गयी।

गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव

3.71 गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान में हुई वृद्धि के रिकार्ड से 90 दिन के बकाया मानदण्डों को अपनाने का प्रभाव दिखायी देता है। गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए किये गये प्रावधान की राशि में 2003-04 में 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी, जबकि 2002-03 में यह वृद्धि 21 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल प्रावधान का मुख्य अंश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का था जिसमें कुल व्यय के प्रति प्रतिशत और अनुपात दोनों के रूप में ऋण हानि के लिए किये गये प्रावधान में तीव्र वृद्धि हो गयी। मार्च 2004 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संचयी प्रावधान का अंश सकल गैर-निष्पादक आस्तियों के 56.6 प्रतिशत था जो मार्च 2003 के अंत की स्थिति से 10 प्रतिशत अंक अधिक है (सारणी III.27)। मार्च 2004 के अंत में सकल गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में संचयी प्रावधान विदेशी बैंकों के लिए सबसे अधिक था तथा उनके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नये निजी बैंक

सारणी III.27: गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों में बैंक समूह-वार उतार-चढ़ाव 2003-04

(करोड़ रुपये में)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (90)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (21)	निजी क्षेत्र के नये बैंक (10)	विदेशी बैंक (33)
1	2	3	4	5	6
मार्च 2003 के अंत तक गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	32,254	25,876	1,579	3,102	1,697
वृद्धि : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	18,473	14,648	934	2,136	755
कमी : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए आधिक्य का प्रतिलेखन	14,031	10,875	444	2,052	661
मार्च 2004 के अंत में	36,696	29,649	2,069	3,187	1,791
ज्ञापन :					
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	64,786	51,538	4,392	5,963	2,894
अनुपात:					
सकल गैर-निष्पादक आस्तियों के संचयी प्रावधान (प्रतिशत)	56.6	57.5	47.1	53.4	61.9

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2003-04 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र।

सारणी III.28: निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में बैंक समूह-वार उतार-चढ़ाव - 2003-04

(करोड़ रुपये)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (90)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (20)	निजी क्षेत्र के नये बैंक (10)	विदेशी बैंक (33)
1	2	3	4	5	6
मार्च 2003 के अंत तक	4,818	2,952	123	1,687	55
वृद्धि : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,451	1,251	75	-276	401
कमी : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए आधिक्य का प्रतिलेखन	1,343	1,200	45	87	11
मार्च 2004 के अंत में	4,925	3,003	153	1,324	445

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2003-04 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र।

और पुराने निजी बैंकों का स्थान रहा। वर्ष 2003-04 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बड़े अंश को बट्टे खाते डाल दिया और अत्यधिक प्रावधान का पुनरांकन किया।

निवेश में मूल्यह्रास के प्रावधान में उतार-चढ़ाव

3.72 सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों ने वर्ष के दौरान निवेश में मूल्यह्रास के लिए पुनरांकन से अधिक राशि की व्यवस्था करते हुए अपने प्रावधानों में वृद्धि की। दूसरी ओर, नये निजी बैंकों ने अपने प्रावधानों को यथावत रखा जिससे एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में अधिक अनुपात में निवेश किये जाने की संभावना का संकेत मिलता है (सारणी III.28)।

वृद्धिशील गैर-निष्पादक आस्तियां

3.73 आस्तियों के प्रति वृद्धिशील गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात और अग्रिमों जिनसे आस्ति गुणवत्ता की अंतर-अल्पकालिक स्थिति की गणना होती है, 2003-04 में नकारात्मक रही और अधिकतर बैंक समूहों में अधिक सुधार दिखायी दिया (सारणी III.29-30)।

5 पूंजी पर्याप्तता

3.74 विनियामक और पर्यवेक्षी प्रक्रिया की दृष्टि से जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात बैंकों की मजबूती और शोधक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकेतक है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जोखिम भारित आस्ति की तुलना में समग्र अनुपात 2002-03 में 12.7 प्रतिशत था जो 2003-04 में सीमांत रूप से बढ़कर 12.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2003-04 में केवल दो वाणिज्य बैंकों को छोड़कर अन्य सभी ने 9 प्रतिशत का जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात बनाये रखने के न्यूनतम विनियामक मानदण्ड का पालन किया। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और सेंचूरियन बैंक जो न्यूनतम विनियामक मानदण्ड का पालन नहीं कर सकें उनका वर्ष 2003-04 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों में केवल 0.5 प्रतिशत का अंश रहा। पांच सबसे बड़े बैंक जिनका जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के लगभग 41 प्रतिशत रहा, ने 2003-04 में अधिक सुधार दर्शाया (चार्ट III.10)।

सारणी III.29: बैंक समूह-वार वृद्धिशील सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(करोड़ रुपये)

बैंक समूह	वृद्धिशील सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ		वृद्धिशील निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	
	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**-2,144**	**-3,931**	**-2,883**	**-8,053**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-2,383	-2,552	-3,091	-6,007
राष्ट्रीयकृत बैंक	123	-1,334	-1,918	-4,178
स्टेट बैंक समूह	-2,506	-1,218	-1,173	-1,829
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	-301	-159	-273	-600
निजी क्षेत्र के नये बैंक	421	-1,269	479	-1,425
विदेशी बैंक	119	49	1	-21

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

सारणी III.30: सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का बैंक समूहवार वृद्धिशील अनुपात

(प्रतिशत)

बैंक समूह	निम्न के संबंध मे सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का वृद्धिशील अनुपात				निम्न के संबंध में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का वृद्धिशील अनुपात			
	सकल अग्रिम		कुल आस्तियाँ		सकल अग्रिम		कुल आस्तियाँ	
	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**-2.2**	**-3.2**	**-1.3**	**-1.4**	**-3.0**	**-6.6**	**-1.8**	**-2.9**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-3.5	-3.0	-1.8	-1.4	-4.5	-7.3	-2.4	-3.2
राष्ट्रीयकृत बैंक	0.3	-2.5	0.1	-1.0	-4.4	-8.3	-2.3	-3.2
स्टेट बैंक समूह	-11.0	-4.0	-5.5	-2.2	-4.8	-5.8	-2.6	-3.3
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	-4.1	-2.4	-2.6	-1.0	-3.8	-9.7	-2.3	-3.8
निजी क्षेत्र के नये बैंक	2.1	-5.7	2.4	-2.3	3.1	-5.6	2.7	-2.6
भारत में विदेशी बैंक	3.4	0.6	3.6	0.2	0.0	-0.3	0.0	-0.1

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ।

चार्ट III.10 पाँच बड़े बैंकों का सीआरएआर

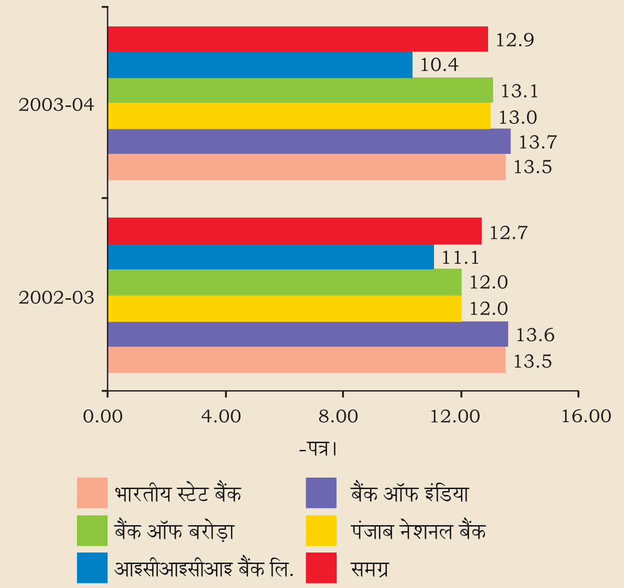

3.75 बैंक समूहों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पुराने निजी बैंकों के समूह के संबंध में मार्च 2003 के स्तर से मार्च 2004 की समाप्ति पर अधिक रहा, जबकि निजी क्षेत्र के नये बैंक समूह और विदेशी बैंकों के समूह के संबंध में उसमें कुछ गिरावट आ गयी (चार्ट III.31)। विभिन्न बैंक समूहों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात का बैंक-वार विवरण परिशिष्ट सारणी III.21 (अ) से 21 (इ) तक दिया गया है। बैंक समूहों में सीआरएआर का वितरण सारणी III.32 में दिया गया है।

इक्विटी पूंजी

3.76 2003-04 के दौरान यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र नामक सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों ने 950 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी किए। इसके साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इक्विटी शेयरों से उभारी गई पूंजी की राशि मार्च 2004 की समाप्ति तक 8,224 करोड़ रुपये पर पहुंच

सारणी III.31: बैंक समूहवार सीआरएआर
(मार्चांत)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11.5	11.3	11.1	11.4	12.0	12.7	12.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11.6	11.3	10.7	11.2	11.8	12.6	13.2
राष्ट्रीयकृत बैंक	10.3	10.6	10.1	10.2	10.9	12.2	13.1
स्टेट बैंक समूह	14.0	12.3	11.6	12.7	13.3	13.4	13.4
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	12.3	12.1	12.4	11.9	12.5	12.8	13.7
निजी क्षेत्र के नए बैंक	13.2	11.8	13.4	11.5	12.3	11.3	10.2
विदेशी बैंक	10.3	10.8	11.9	12.6	12.9	15.2	15.0

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां

सारणी III.32: जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी के अनुपात के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	2002-03				2003-04			
	4 प्रतिशत के बीच	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक	4 प्रतिशत नीचे	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीयकृत बैंक	-	-	1	18	-	-	1	18
स्टेट बैंक समूह	-	-	-	8	-	-	-	8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	-	-	1	20	-	-	-	20
निजी क्षेत्र के नये बैंक	2	-	1	6	1	1	-	8
विदेशी बैंक	-	-	-	36	-	-	-	33
कुल	**2**	**-**	**3**	**88**	**1**	**1**	**1**	**87**

गई। इक्विटी पूंजी उभारने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में सरकार का भाग 7 5 प्रतिशत के स्थान पर 57.2 के निम्न स्तर पर आ गया। निजी क्षेत्र के बैंकों के समूहों के भीतर, आइसीआइसीआइ बैंक ने 2003-04 के दौरान 1,251 करोड़ रुपये के ऋण निर्गम जारी किए।

हाल की प्रवृत्ति : 2004-05 की पहली छमाही

3.77 वर्ष 2004-05 की पहली छमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने लगातार वृद्धि दर्शायी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर 2004-05 की पहली तिमाही में 13.4 प्रतिशत रहा, जबकि यह 2003-04 की पहली तिमाही में 13.2 प्रतिशत था। बैंक समूहों में 2004-05 की पहली छमाही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर 2003-04 की पहली छमाही के सीआरएआर के समान था। 2004-05 की पहली तिमाही में निजी क्षेत्रों के नये बैंकों का सी आर ए आर 13.5 प्रतिशत था जब कि 2003-04 की पहली छमाही में 11.3 प्रतिशत था। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों तथा विदेशी बैंकों का सी आर ए आर, 2003-04 की पहली छमाही के 14.4 प्रतिशत तथा 14.9 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 13.7 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत था। (सारणी III.3)

3.78 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अग्रिमों की तुलना में से निवल एनपीए 2003-04 की पहली तिमाही के 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 की पहली तिमाही में सुधरकर 2.5 प्रतिशत हो गया। इस अनुपात ने सभी बैंक समूहो के संबंध में सुधार दर्शाया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आस्ति अनुपात की तुलना में निवल लाभ 2004-05 की पहली तिमाही में 1.1 प्रतिशत था जबकि 2003-04 की पहली तिमाही में यह 1.3 प्रतिशत था। बैंक समूहों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों ने अपनी लाभप्रदता बनाए रखी, जबकि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों ने उनके निवल लाभ अनुपात में कुछ गिरावट दर्ज की। ऐसी ही प्रवृत्ति बैंक समूहों के आस्ति अनुपात से निवल ब्याज आय के बाबत भी दिखी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति से परिचालनगत व्यय का अनुपात 2004-05 की पहली तिमाही में 2003-04 की पहली तिमाही के स्तर की तुलना में कुछ ऊपर गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आस्ति अनुपास से परिचालन व्यय 2004-05 की पहली छमाही में 2003-04 की पहली छमाही जैसा ही रहा।

6. बैंकिंग का क्षेत्रीय विस्तार :

3.79 जून 2004 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 67,097 जिसमें 32,207 ग्रामीण शाखाएं, 15,028 अर्ध-शहरी शाखाएं और 19,837 शहरी और महानगरीय शाखाएं शामिल हैं। शाखाओं को युक्तिसंगत बनाने की नीति ने ग्रामीण शाखाओं के अंश को प्रभावित किया, जो जून 2002 की समाप्ति के 48.4 प्रतिशत से मामूली-सी होकर जून 2003 की समाप्ति तक 48.0 प्रतिशत रह गयी। शहरी और महानगरी के शाखाओं के अंश में मामूली-सी वृद्धि हुई और 2002-03 के 29.2 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 29.6 प्रतिशत हो गयी। (परिशिष्ट सारणी III.22)।

3.80 राष्ट्रीय आय के क्षेत्रवार विवरणियों की दृष्टि से दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का उच्चतम प्रतिशत बैठता है जिसके बाद पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का स्थान है। दक्षिणी क्षेत्र में 2003-04 के दौरान उच्चतम शाखाएं खुलीं। उत्तरी क्षेत्र में भी वर्ष के दौरान शाखाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी। विशेषकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली (परिशिष्ट सारणी III.23)।

3.81 पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र का ऋण जमा अखिल भारतीय स्तर से उच्चतर बना रहा । विभिन्न राज्यों में से 5 राज्यों जिनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली तथा केन्द्रशासित प्रदेश, चडीगढ़ शामिल हैं। अखिल भारतीय स्तर से ऋण जमा अनुपात बनाया रखा था । ये 5 राज्यों और केन्द्रशासित

सारणी III.33: अनुसूचित वाणिज्य बैंक - कार्य निष्पादन के संकेतक

(प्रतिशत)

बैंक समूह	2002-03				2003-04				2004-05	
	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
परिचालनगत व्यय / कुल आस्तियाँ *										
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.3	2.3	2.2	2.4	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.0	2.1	2.1	1.9	2.0	2.2	2.1	1.6	2.1	2.1
निजी क्षेत्र के नये बैंक	1.9	2.0	2.1	1.8	2.2	2.3	2.0	1.7	2.4	2.4
विदेशी बैंक	2.7	2.9	2.9	2.7	2.6	2.7	3.3	2.4	2.9	3.0
निवल ब्याज आय / कुल आस्तियाँ *										
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.9	2.9	2.8	2.6	3.1	2.9	3.1	2.5	3.1	3.1
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3.0	3.1	2.9	2.8	3.2	3.0	3.2	2.8	3.1	3.2
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.6	2.4	2.8	2.0	2.7	2.7	2.8	1.9	2.9	3.0
निजी क्षेत्र के नये बैंक	1.7	1.5	1.7	1.6	2.0	2.1	2.1	1.5	2.5	2.6
विदेशी बैंक	3.5	3.6	3.6	2.7	4.0	3.0	3.8	3.0	3.7	3.4
निवल लाभ / कुल आस्तियाँ *										
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.0	1.0	1.2	0.9	1.3	1.3	1.2	1.0	1.2	1.1
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	0.9	0.9	1.1	0.9	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.2	1.1	1.6	0.7	1.6	1.5	1.5	0.2	0.9	0.5
निजी क्षेत्र के नये बैंक	1.0	1.0	1.2	0.3	1.2	1.4	1.3	0.6	1.2	1.2
विदेशी बैंक	1.5	1.3	1.5	2.0	2.5	1.8	0.9	1.4	1.8	1.2
सकल आस्तियों की तुलना में सकल एनपीए **										
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11.2	11.1	10.9	8.8	9.8	9.7	9.3	7.3	7.4	6.6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11.6	11.6	11.2	9.4	10.2	10.0	9.6	8.1	8.1	7.3
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	12.3	12.8	12.5	8.9	9.8	10.1	10.1	7.7	7.9	7.6
निजी क्षेत्र के नये बैंक	11.3	11.3	11.4	7.6	10.4	10.4	9.6	4.8	4.9	3.9
विदेशी बैंक	5.6	5.5	5.6	5.2	5.4	5.3	5.2	4.9	4.7	4.3
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए **										
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5.7	5.5	5.1	4.5	4.6	4.0	3.7	3.0	2.8	2.5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	6.0	5.8	5.2	4.7	4.7	4.0	3.6	3.1	3.0	2.7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	8.1	8.3	7.8	5.8	6.2	6.1	5.7	3.9	3.8	3.8
निजी क्षेत्र के नये बैंक	5.2	5.0	5.1	4.5	4.6	4.4	4.0	2.4	2.4	1.8
विदेशी बैंक	1.9	1.9	2.0	1.7	1.7	1.5	1.3	1.5	1.4	1.0
सी आर ए आर **										
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	12.3	12.5	12.8	12.7	13.0	13.2	13.5	12.9	13.6	13.4
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11.9	12.3	12.6	12.6	13.0	13.3	13.8	13.2	13.5	13.2
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	13.3	13.1	13.4	12.8	13.5	14.4	15.0	13.7	14.3	13.7
निजी क्षेत्र के नये बैंक	12.9	12.6	12.8	11.3	11.3	11.3	11.2	10.6	12.8	13.5
विदेशी बैंक	13.2	13.0	13.5	15.2	14.7	14.9	14.8	15.0	14.7	14.0

* तिमाहियों के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए वार्षिकीकृत किए गए।
** तिमाही की समाप्ति की स्थिति।
टिप्पणी : मार्च और जून 2004 के आंकडे अनंतिम हैं ।
स्रोत : बैंकों द्वारा घरेलू परिचालनों को शामिल करके प्रस्तुत की गई डीएसबी विवरणियां।

प्रदेश की जमाराशियां कुल जमा राशियों की लगभग 52 प्रतिशत और कुल बैंक ऋण की 67 प्रतिशत ऋण बैठती है।

3.82 ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण जमा अनुपात ने 1999-2000 से उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शायी। इसका अनुपात 1999-2000 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 44 प्रतिशत हो गया। तथापि, ग्रामीण ऋण जमा अनुपात में अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कुल जमाराशियों में ग्रामीण जमाराशियों का अंश गिरा है। तथापि, कृषि क्षेत्र को ऋण की वृद्धि में तेजी आने के बावजूद अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण ऋण का कुल बैंक ऋण में अंश गिरने की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा बैंकों से खुदरा ऋण सहित विभिन्न ऋणों का अंश निम्न रहा है।

7. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दरें

3.83 ब्याज दर नीति का प्रभाव का स्पष्ट रूप से देखा तथा विभिन्न लिखतों पर सभी परिपक्वता के संदर्भ में अलग-अलग रहा है। परंतु उधार की दरों के मामले में इतना अधिक देखा गया। सभी परिपक्वता के मामले में जमा दरें 2003-04 के दौरान गिरी है । सभी दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास सभी मुद्दों के लिए समान रहा । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा दरें जो कि मार्च 2003 तक 4.0-7.0 के दायरे में थी, मार्च 2004 तक गिरकर 3.75 से 6.00 तक ही आ गयी और 2004-05 के दौरान अभी तक और गिरकर 3.50-5.75 प्रतिशत रह गयी (अक्तूबर 2004 तक) (सारणी III.34) । उधार की दरों में कुछ गिरावट दर्शायी, परंतु इतनी नहीं कि जितनी की जमा दरों में। जमा दरों और उधार की ब्याज दरों के बीच का अंतर का दायरा 2002-03 की तुलना में 2003-04 में 2003-04 में बहुत अधिक नहीं बदला (चार्ट III.11)।

चार्ट III.11: जमा और उधार संबंधी ब्याज दर

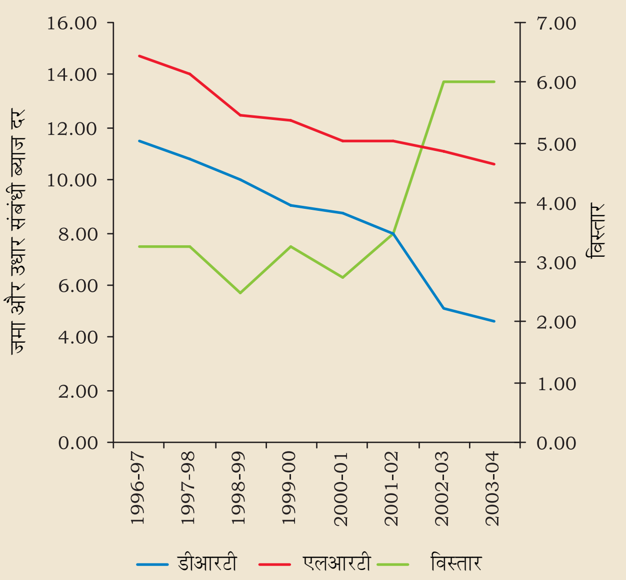

सारणी III.34: ब्याज-दर की संरचना

(प्रतिशत)

ब्याज दर	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	अक्तूबर 2004
1	2	3	4	5
I. ऋण बाजार				
1. जमा दर				
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4.25-8.75	4.00-7.00	3.75-6.00	3.50-5.75
निजी बैंक	5.00-10.00	3.50-8.00	3.00-7.00	3.00-6.75
विदेशी बैंक	4.25-10.00	3.00-8.50	2.75-8.00	3.00-7.00
2. ऋण देने का दर				
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.00-12.50	9.00-12.25	10.25-11.50	10.25-11.00
निजी बैंक	10.00-15.50	7.00-15.50	10.50-13.00	9.75-13.00
विदेशी बैंक	9.00-17.50	6.75-17.50	11.00-14.85 *	11.00-13.00 *
II. मुद्रा बाजार				
3. मांग उधार (औसत)	6.97	5.86	4.37	4.63
4. वाणिज्यिक पत्र				
डब्ल्यूएडीआर 61 - 90 दिन	9.46	6.53	5.19	5.52 ***
डब्ल्यूएडीआर 91-180 दिन	8.11	6.45	4.73	5.61 ***
दायरा	7.41-10.25	6.00-7.75	4.70-6.50	5.10-6.23
5. जमा प्रमाणपत्र				
दायरा	5.00-10.03	5.00-7.10	3.87-5.16	4.00-5.75 **
विशष्ट दर				
3 माह	7.38	–	4.96	4.75 **
12 माह	10.00	5.25	5.16	5.75 **
6. खजाना बिल				
91 दिन	6.13	5.89	4.38	5.37
364 दिन	6.16	5.89	4.45	5.69
III. ऋण बाज़ार				
7. सरकारी प्रतिभूति बाज़ार				
5-वर्ष	6.75	5.92	4.72	5.89
10-वर्ष	7.30	6.13	5.17	5.98

* बार्कलेज बैंक को छोड़कर जो बीपीएलआर 17.50 प्रतिशत दे रहा है।
** 15 अक्तूबर 2004 की स्थिति
*** 15 नवंबर 2004 की स्थिति
टिप्पणी : मार्च और अक्तूबर 2004 हेतु मूल उधार दर के आंकड़े बीपीएलआर हैं।

घरेलू जमा दरें :

3.84 सभी परिपक्वता की जमा दरों में कमी का बैंकिंग क्षेत्र की निधियों की लागतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जहां एक वर्ष तक की जमा दरें मार्च 2003 के 4.00-6.00 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 में 3.75- 5.25 प्रतिशत तक रह गयी वहीं एक वर्ष से अधिक की जमा दरे 5257.00 प्रतिशत से कम होकर 5.00 -6.00 प्रतिशत रह गयी जो अधिक स्पष्ट है (सारणी III.35) । निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों की जमा दरें से 2003-04 के दौरान गिरी है। जमा दरों में और कमी आयी है ।

उधार दरें

3.85 रिज़र्व बैंक ऋण बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढाने के लिए अनेक पहल करता रहा है साथ ही बैंकों की ब्याज दरों पर सूचना जून 2002 से अपनी वेब साइट (www.rbi.org.in) पर प्रसारित करता रहा है। इसके अलावा बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04 में बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे (i) निधियों की वास्तविक लागत; (ii) परिचालनगत व्यय तथा (iii) विनियामक प्रावधानीकरण / पूंजी प्रभाव तथा लाभ मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन अपने बोर्ड से अनुमोदन लेकर एक आधारभूत पीएलआर (बीपीएलआर) की घोषित करें ता कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीपीएलआर उनकी वास्तविक लागत को सचमुच पारदर्शित करता है। भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने अपने सदस्य बैंकों को यह सूचित किया है कि वे परिचालनगत अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बीपीएलआर घोषित करें। अप्रैल 2004 को सभी वाणिज्यिक बैंकों ने बेंचमार्क पीएलआर (बीपीएलआर) की नयी प्रणाली को अपना लिया ।बैंकों द्वारा घोषित की गयी बीपीएलआर उनकी अब तक की पीएलआर से आम तौर पर 25-200 पूंजी तक कम पर घोषित की जाती है।

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

निधि संग्रहण और विनियोजन

3.86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा.बैंक) भौगोलिक व्याप्ति, ग्राहक-संपर्क, कारोबार मात्रा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहभाग की दृष्टि से संस्थागत वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2003-04 के दौरान, समष्टिगत प्रवृत्ति की तर्ज पर क्षे.ग्रा.बैंकों की कुल जमाराशि 2002-03 के 11.9 प्रतिशत से बढ़कर 17.9 प्रतिशत हो गई। मांग जमाराशि ने 2003-04 में 25 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की जबकि 2002-03 में यह वृद्धि 14 प्रतिशत ही थी। सावधि जमाराशि में 2002-03 के 11 प्रतिशत के विस्तार की तुलना में 2003-04 में 16 प्रतिशत विस्तार हुआ। आस्ति पक्ष में, बैंक ऋण में 2002-03 के 18.5 प्रतिशत

सारणी III.35 : जमा और उधार संबंधी ब्याज दर में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

ब्याज दर	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	अक्तूबर 2004
1	2	3	4	5
I. घरेलू जमा दर				
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
क) 1 वर्ष तक	4.25-7.50	4.00-6.00	3.75-5.25	3.50-5.00
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	7.25-8.50	5.25-6.75	5.00-5.75	4.75-5.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.00-8.75	5.50-7.00	5.25-6.00	5.00-5.75
निजी क्षेत्र के बैंक				
क) 1 वर्ष तक	5.00-9.00	3.50-7.50	3.00-6.00	3.00-6.00
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	8.00-9.50	6.00-8.00	5.00-6.50	5.00-6.75
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.25-10.00	6.00-8.00	5.25-7.00	5.25-6.50
विदेशी बैंक				
क) 1 वर्ष तक	4.25-9.75	3.00-7.75	2.75-7.75	3.00-5.75
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	6.25-10.00	4.15-8.00	2.25-8.00	3.50-7.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	6.25-10.00	5.00-9.00	3.25-8.00	3.50-7.00
II. मूल उधार दर				
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.00-12.50	9.00-12.25	10.25-11.50	10.25-11.00
निजी क्षेत्र के बैंक	10.00-15.50	7.00-15.50	10.50-13.00	9.75-13.00
विदेशी बैंक	9.00-17.50	6.75-17.50	11.00-14.85 *	11.00-13.00*

* बार्कलेज बैंक को छोड़कर जो बीपीएलआर 17.50 प्रतिशत का प्रस्ताव दे रहा है।
टिप्पणी : मार्च और अक्तूबर 2004 हेतु मूल उधार दर के आंकड़े बीपीएलआर हैं।

की तुलना में 2003-04 में 17 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दिखायी। 2002-03 की मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि क्षेत्रीय ग्रामीण प्रायोजक बैंक में रखी विद्यमान जमाराशि को मार्च 2003 तक अनुमोदित प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके एसएलआर की अपनी संपूर्ण धारित निधि सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखें। तदनुसार क्षे.ग्रा.बैंक ने एसएलआर में रखे उनके निवेश 2002-03 में 334 प्रतिशत बढ़ाए। 2003-04 के दौरान क्षे.ग्रा.बैंकों ने एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश की उच्च वृद्धि बनाए रखी जोकि जमाराशि देयताओं में वृद्धि और अंतर बैंक आस्तियों में कमी से निधिबद्ध थी। क्षे.ग्रा.बैंकों ने अपना निवेश 39 प्रतिशत बढ़ा दिया था जोकि मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की वृद्धि 2002-03 में उच्च आधार पर शीर्ष पर 60.6 प्रतिशत होने के कारण हुआ (सारणी III.36)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

3.87 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 2002-03 तथा 2003-04 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2003-04 में हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या में समग्र गिरावट आयी है। घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में 2003-04 में तेज उठाव आया। व्यय पहलू के संबंध में घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ब्याज व्ययों और परिचालनगत व्ययों में कमी दर्ज की (सारणी III.37)।

सारणी III 36: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक

(निम्नलिखित को बकाया)

(राशि करोड़ रुपये)

	मद	29 मार्च 2002	28 मार्च 2003	26 मार्च , 2004	घट-बढ़	
					2002-03	2003-04
1		2	3	4	5 (3-2)	6 (4-3)
1	**बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं**	**188**	**179**	**205**	**-9** (-4.8)	**26** (14.5)
2	**अन्य के प्रति देयताएं**	**44,873**	**50,190**	**58,798**	**5,317** (11.8)	**8,608** (17.2)
	2.1 कुल जमाराशियां (क+ख)	43,220	48,346	57,010	5,126 (11.9)	8,664 (17.9)
	(क) मांग जमाराशि	7,716	8,802	11,019	1,086 (14.1)	2,217 (25.2)
	(ख) सावधि जमाराशि	35,504	39,544	45,991	4,040 (11.4)	6,447 (16.3)
	2.2 उधार	12	131	3	119 (991.7)	-128 -(97.8)
	2.3 अन्य मांग और सावधि देयताएं*	1,641	1,713	1,785	72 (4.4)	72 (4.2)
3	**बैंकिंग प्रणाली की आस्तियां**	**18,509**	**15,091**	**12,993**	**-3,418** (-18.5)	**-2,098** (13.9)
4	**बैंक ऋण**	**18,373**	**21,773**	**25,481**	**3,400** (18.5)	**3,708** (17.0)
5	**निवेश (क+ख)**	**6,772**	**12,524**	**17,444**	**5,752** (84.9)	**4,920** (39.3)
	क) सरकारी प्रतिभूतियां	1,915	8,311	13,349	6,396 (334.0)	5,038 (60.6)
	ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,857	4,213	4,095	-644 (-13.3)	-118 -(2.8)
6	**नकदी शेष**	**472**	**515**	**571**	**43** (9.1)	**56** (10.9)
ज्ञापन :						
क)	नकदी शेष-जमाराशि अनुपात	1.1	1.1	1.0		
ख)	ऋण - जमाराशि अनुपात	42.5	45.0	44.7		
ग)	निवेश /जमाराशि अनुपात	15.7	25.9	30.6		
घ)	निवेश+ ऋण/ जमाराशि अनुपात	58.2	70.9	75.3		

* अन्य को जारी सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत घट बढ़ हैं।

सारणी III.37: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

	विवरण	2002-03			2003-04			घट-बढ
		घाटे में चल रहे [40]	लाभ में चल रहे [156]	क्षे.ग्रा.बैं. [196]	घाटे में चल रहे [33]	लाभ में चल रहे [163]	क्षे.ग्रा.बैं. [196]	स्तंभ 7 पर स्तंभ 4
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7)-(4)
क.	**आय (i+ii)**	**774**	**5,157**	**5,931**	**609**	**5,635**	**6,244**	**313** (5.27)
	i) ब्याज आय	727	4,775	5,501	553	4,985	5,538	37 (0.7)
	ii) अन्य आय	48	383	430	56	650	706	275.7 (64.1)
ख.	**व्यय (i+ii+iii)**	**989**	**4,418**	**5,407**	**793**	**4,682**	**5,475**	**68** (1.3)
	i) ब्याज व्यय	567	2,946	3,513	421	2,939	3,360	-153 -(4.4)
	ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	66	124	190	90	196	286	96 (50.3)
	iii) परिचालनगत व्यय	356	1,348	1,703	282	1,547	1,829	126 (7.37)
	जिसमें से :							
	वेतन बिल	321	1,159	1,480	248	1,260	1,508	28 (1.9)
ग.	**लाभ**							
	i) परिचालन लाभ/हानि	-149	863	715	-94	1,149	1,055	340 (47.6)
	ii) निवल लाभ/हानि	-215	739	525	-184	953	769	244 (46.6)
घ.	**कुल आस्तियां**	**10,282**	**53,332**	**63,614**	**8,892**	**61,386**	**70,278**	**6,664** (10.5)
ङ.	**वित्तीय अनुपात** (कुल आस्तियों का प्रतिशत)							
	i) परिचालन लाभ	-1.4	1.6	1.1	-1.1	1.9	1.5	
	ii) निवल लाभ	-2.1	1.4	0.8	-2.1	1.6	1.1	
	iii) आय	7.5	9.7	9.3	6.8	9.2	8.9	
	iv) ब्याज आय	7.1	9.0	8.6	6.2	8.1	7.9	
	v) अन्य आय	0.5	0.7	0.7	0.6	1.1	1.0	
	vi) व्यय	9.6	8.3	8.5	8.9	7.6	7.8	
	vii) ब्याज व्यय	5.5	5.5	5.5	4.7	4.8	4.8	
	viii) परिचालन व्यय	3.5	2.5	2.7	3.2	2.5	2.6	
	ix) वेतन बिल	3.1	2.2	2.3	2.8	2.1	2.1	
	x) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	0.6	0.2	0.3	1.0	0.3	0.4	
	xi) दायरा (निवल ब्याज आय)	1.5	3.4	3.1	1.5	3.3	3.1	

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड

प्रयोजन वार बकाया ऋण और अग्रिम

3.88 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का संयोजन लगभग वही रहा। कृषि और कृषीतर ऋणों का भाग सामान्यतः वही रहा, तथापि वह कृषीतर ऋणों के प्रति कुछ झुका हुआ था (सारणी III.38)।

9. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

3.89 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (सा.क्षे.बैं.) के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया 2002-03 के दौरान की 18.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2003-04 में 21 प्रतिशत बढ़े। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

सारणी III.38: बकाया अग्रिमों का प्रयोजन-वार विवरण

(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपए में)

प्रयोजन	2002	2003
1	2	3
1. अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)	4,883	6,495
2. मीयादी ऋण (कृषि तथा संबंद्ध गतिविधियों के लिए)	3,522	3,766
3. परोक्ष अग्रिम	उ. न.	उ. न.
I. कुल (कृषि)	**8,405**	**10,261**
(1 से 3)	**(45.2)**	**(46.3)**
4. ग्रामीण कारीगर, आदि	671	695
5. अन्य उद्योग	226	330
6. खुदरा व्यापार, आदि	2,984	3,264
7. अन्य प्रयोजन	6,343	7,608
II. कुल (कृषीतर)	**10,224**	**11,897**
(4 से 7)	**(54.8)**	**(53.7)**
कुल (I+II)	**18,629**	**22,158**
	(100.0)	**(100.0)**

उ. न. - उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : कोष्ठक के आँकड़े कुल क्षेत्र के प्रतिशत हैं।

स्रोत : नाबार्ड

के निवल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का भाग 2002-03 के 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 44 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की वृद्धि को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य विविध ऋणों तथा अग्रिमों में उछाल आने और कृषि क्षेत्र के ऋण में भारी वृद्धि से बढ़ावा मिला। मार्च 2003 के सूचना देने हेतु नियत अंतिम शुक्रवार के निवल बैंक ऋण के 15.4 प्रतिशत कृषि अग्रिम थे (परिशिष्ट सारणी III.24)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवल बैंक ऋण में 'अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' के अग्रिमों का भाग 2002-03 के 15 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 17 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने दुर्बल वर्गों के उनके अग्रिमों में अच्छी बढ़ोतर कर ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवल बैंक ऋण में दुर्बल वर्गों के अग्रिमों की भाग 2002-03 के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 7.4 प्रतिशत हो गया। कृषि तथा दुर्बल वर्गों के अग्रिमों का बैंक-वार ब्यौरा और साथ ही दुर्बल वर्गों के अग्रिमों से उत्पन्न एनपीए परिशिष्ट सारणी III.25 (क) और 25(ख) में प्रस्तुत है।

निजी क्षेत्र के बैंक

3.90 निजी क्षेत्र के बैंकों (नि.क्षे.बैं.) ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने की उनकी वृद्धिशील प्रवृत्ति जारी रखी। निजी क्षेत्र के बैंकों के निवल बैंक ऋण (नि.बैं.ऋ) में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का भाग 2002-03 के 44.4 प्रतिशत से बढ़कर 200:-04 में 47.4 प्रतिशत हो गया। समग्रतः कृषि, लघु उद्योग और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्राप्त ऋण में वृद्धि हुई। नि.बैं.ऋ. में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के श्रेणी का भाग सर्वाधित अर्थात 23.1 प्रतिशत था जिसके बाद कृषि और लघु उद्योगों के अग्रिम का स्थान था। कृषि क्षेत्र को उनके उधार 2003-04 में बढ़कर उनके नि.बैं.ऋ. के 12.3 प्रतिशत हो गए जोकि 2002-03 की तुलना में एक प्रतिशत अंक अधिक है (परिशिष्ट सारणी III.26)। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि और दुर्बल वर्गों के अग्रिमों का बैंक-वार ब्यौरा और दुर्बल वर्गों के अग्रिमों से उत्पन्न एनपीए परिशिष्ट सारणी III.27(क) और 27(ख) में दिए गए हैं।

विदेशी बैंक

3.91 भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु नि.बैं.ऋ. का 32.0 प्रतिशत का लक्ष्य और लघु उद्योगों हेतु नि.बैं.ऋ. के 10 प्रतिशत और निर्यात हेतु नि.बैं.ऋ. के 12.0 प्रतिशत का उप लक्ष्य प्राप्त करें। विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वित्त उधार मार्च 2003 के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार के उनके नि.बैं.ऋ. का 34.8 प्रतिशत था जिसमें से नि.बैं.ऋ. में निर्यात ऋण और लघु उद्योगों का भाग क्रमशः 18.7 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी III.28)।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना

3.92 डीआरआइ योजना के तहत सा.क्षे.बैंकों के बकाया अग्रिम मार्च 2004 की समाप्ति पर 3.7 लाख उधारकर्ता खातों में 315 करोड़ रुपये थे जोकि 2002-03 के अंत के बकाया कुल अग्रिमों की 0.1 प्रतिशत होता है जोकि 1.0 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है।

विशेष कृषि ऋण योजना

3.93 सा.क्षे.बैंक वर्ष के दौरान कृषि की स्व-निर्धारित लक्ष्य का ऋण वितरण करने के लिए 1994-95 से विशेष कृषि ऋण योजना तैयार कर रहे हैं। 1994-95 से 2003-04 की अवधि के दौरान सा.क्षे.बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को किया गया ऋण वितरण 1994-95 के 8255 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 42,211 करोड़ रुपये हो गया। वार्षिक नीतिगत वक्तव्य 2004-05 की मध्यावधि समक्षा में की गई घोषणा के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचि किया गया है कि वे 2005-06 से विशेष कृषि ऋण

योजना तैयार करें जिसमें कृषि क्षेत्र के पूर्ववर्ती वर्ष के ऋण संवितरण से कम से कम 20-25 प्रतिशत अधिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा जाए।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3.94 वर्ष 2003-04 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या 8,75,690 थी। इस योजना के तहत 1275.5 करोड़ का बैंक ऋण और 698 करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी वितरित की गई थी। सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में से 4,01,142 (45.8 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे जबकि 4,62,230 (52.8 प्रतिशत) महिलाएं थीं और 8,316 (1.0 प्रतिशत) शारीरिक विकलांग थे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत 2003-04 के दौरान स्वीकृत 73,652 आवेदनों पर 31 मार्च 2004 तक 69,412 मामलों में 176.7 करोड़ रुपये वितरित किए गए। सफाई कर्मी मुक्ति और पुनर्वास योजना के तहत 2003-04 के दौरान स्वीकृत आवेदनपत्रों की संख्या 9,456 थी। इस संबंध में 2003-04 के दौरान 7,673 मामलों में 13.2 करोड़ रुपये विपरित किए गए।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

3.95 वर्ष 1998-99 में शुरू किए गए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि क्षेत्र को पर्याप्त व समय पर ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। केसीसी योजना की विशेषता है उसकी क्रियाविधि में लचीलापन और सरलता। इस योजना में, बैंक किसानों को घूमता ऋण प्रदान करते हैं। केसीसी ऋणों के लिए ब्याज दर फसल ऋणों की ब्याज दर ही होती है और जमानत/मार्जिन मानदंड रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होते हैं। मार्च 2004 तक वाणिज्य बैंकों ने 132.43 लाख केसीसी जारी किए थे। 2003-04 के दौरान सा.क्षे.बैंकों ने 30 लाख का लक्ष्य पार करते हुए 30.94 लाख केसीसी जारी किए।

अग्रणी बैंक योजना

3.96 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंक वित्त बढ़ाने और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सा.क्षे.बैंक अग्रणी बैंक योजना में सहभागी होते आ रहे हैं। मार्च 2004 के अंत में, अग्रणी बैंक योजना में 587 जिले आ गए थे जिनमें विद्यमान जिलों के पुनर्गठन / विभाजन से बने 6 नए जिले भी शामिल थे। यह योजना हाल ही में संशोधित की गई है ताकि फसल ऋण की विद्यमान सुविधा के अलावा कृषि व संबंधित कार्यों हेतु सावधि ऋण और उपभोग आवश्यकताओं हेतु उचित भाग शामिल किया जा सके।

व्यष्टि वित्त

3.97 वर्ष 2003-04 में, स्व-सहायता समूह - बैंक संबद्धता कार्यक्रम के तहत व्यष्टि वित्त को बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारिता से वृद्धिशील सहारा मिलना जारी रहा । कम लागत और व्यष्टि वित्त से संबद्ध लगभग शून्य एनपीए के कारण वाणिज्य बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहारा देने में दिखायी गई दिलचस्पी बढ़ती ही गई। समग्रतः वाणिज्य बैंकों से वित्तीय सहारा मिलने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या 2002-03 के 3,61,061 से 2004-05 में 5, 38,422 हो गये, जोकि 49 प्रतिशत वृद्धि है। संचयी ऋण 2002-03 के 1,149.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 2,254.8 करोड़ रुपये हो गए और 96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। स्व-सहायता समूहों को बैंकों, क्षे.ग्रा.बैंकों और सहकारिता से प्राप्त कुल वित्त में 58 प्रतिशत भाग के साथ वाणिज्य बैंकों ने अपना प्रभुत्व बनाए रखा।

10. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

3.98 मार्च 2004 की समाप्ति पर 5 बैंक कार्यरत थे। वे कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि., विजयवाड़ा, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि., फगवाड़ा, साऊथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि., नवसारी, कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि., महबूबनगर और दि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि., कोल्हापुर थे। साऊथ गुजरात लोकल एरिया बैंक, जिसे परवर्ती वर्षों में निवल घाटा उठाना पड़ा था और जिसकी पूंजी तथा प्रारक्षित निधि में भारी गिरावट आयी थी, का 25 जून 2004 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हो गया।

3.99 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन से यह पता चलता है कि छोटे बैंकों का ऋण जमा अनुपात बहुत उच्च अर्थात 100 प्रतिशत से अधिक है (सारणी III.39)। कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि. और कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि. जैसे बड़े स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात कुछ ही अधिक था। समूह के निवल लाभ में 2003-04 में कुल मिलाकर गिरावट ही रही है

[5] रिपोर्ट के अध्याय IV. बाक्स IV.4 भी देखें।

सारणी III.39: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का कार्य निष्पादन
(मार्च 2004 की समाप्ति पर)

(राशि करोड़ रुपये में)

स्थानीय क्षेत्र के बैंक का नाम	जमाराशि	अग्रिम ऋण	जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	32	19	60.3
2. कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	110	66	60.0
3. साऊथ गुजरात एरिया बैंक लि..	9	9	100.4
4. कृष्णा भीमा समृद्धि बैंक लि.	5	6	129.6
5. सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	1	3	255.5

(सारणी III.40)। इसका प्रारंभिक कारण था 2003-04 के दौरान साऊथ गुजरात लोकल एरिया बैंक की हानि में भारी वृद्धि। हालांकि इस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलयन करके इस समस्या का समाधान कर दिया गया है, तथापि, दि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि. जिसने कार्य प्रारंभ करने बाद पहले ही वर्ष निवल हानि उठायी है और कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि., जिसका लाभ कम और 2003-04 में एकदम स्थिर रहा है, जैसे छोटे बैंकों की दीर्घावधि में व्यवहार्यता संदिग्ध हो गई है।

11. बैंकिंग गतिविधियों में विशाखीकरण :

बैंकों द्वारा बीमा कारोबार

3.100 बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश के मुद्दे पर समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को बीमा एजेन्सी कारोबार में लाने के लिए अथवा बीमा जोखिम में सहभागिता लिए अर्जेन्टिया व्यष्टि करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते, वे (इर्डा) बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण के विनियमों और अन्य शर्तों का पालन करें। तथापि जो

सारणी III.40: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन
(मार्च की समाप्ति पर)

(राशि करोड़ रुपये में)

वितरण	2003	2004	स्तंभ (2) से स्तंभ (3) का अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क आय (i+ii)	**17.1**	**19.6**	**2.5**	14.5
i) ब्याज आय	12.7	15.4	2.7	21.0
ii) अन्य आय	4.4	4.2	-0.2	-4.3
ख. व्यय (i+ii+iii)	**16.9**	**19.4**	**2.6**	15.1
i) ब्याज व्यय	7.7	8.6	0.9	11.6
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	2.5	2.8	0.4	14.3
iii) परिचालनगत व्यय	6.7	8.1	1.3	19.4
जिनमें से :				
वेतन बिल	2.4	2.7	0.3	12.4
ग. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ / हानि (-)	2.7	3.0	0.3	10.5
ii) निवल लाभ / हानि (-)	0.2	0.1	-0.1	-31.8
ग. दायरा (निवल ब्याज आय)	**5.0**	**6.8**	**1.8**	35.5
घ. कुल आस्तियां	**146.2**	**199.5**	**53.3**	36.4
ङ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)				
i) परिचालनगत लाभ	1.8	1.5		
ii) निवल लाभ	0.2	0.1		
iii) आय	11.7	9.8		
iv) ब्याज आय	8.7	7.7		
v) अन्य आय	3.0	2.1		
vi) व्यय	11.6	9.7		
vii) ब्याज व्यय	5.3	4.3		
viii) परिचालनगत व्यय	4.6	4.0		
ix) वेतन बिल	1.7	1.4		
x) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	1.7	1.4		
xi) दायरा (निवल ब्याज आय)	3.4	3.4		

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित

बैंक रिस्क जोखिम धारिता के आधार पर बीमा संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए इक्विटी में भागीदारी करेंगे, जिसने वहां बुनियादी सुविधा और सेवा समर्थन प्रदान करने के लिए बीमा कम्पनी में निवेश करना, जिस पर उन्हें रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करना जारी रहेगा।

स्टाक इनवेस्ट योजना की समाप्ति

3.101 स्टाक इनवेस्ट योजना की समीक्षा करने के लिए यह देखा गया है कि प्राथमिक बाजार में शेयरों/डिबेंचरों के आबंटन के लिए आवेदन के साथ भुगतान के एक साधन के रूप में स्टाक इनवेस्ट लिखत का प्रयोग काफी गिर गया है और प्राथमिक निर्गमों के अंतर्गत आबंटन अवधि काफी कम हो गयी है, क्योंकि इस बीच सेबी द्वारा अनेक उपाय किये जा चुके है, इन कारणों को देखते हुए 5 नवम्बर 2003 को यह निर्णय लिया गया कि स्टाक इनवेस्ट योजना तत्काल बंद की जाये ।

बैंकिंग गतिविधि में विशाखीकरण

3.102 भारतीय स्टेट बैंक को यह अनुमोदन दिया गया है कि वह सूचना प्रौद्योगिकी की सहकारी संस्थाओं स्थापित करें। उक्त बैंक को एक पूर्णतया स्वाधिकृत स्टाक कम्पनी - एसबीआइ म्युचुअल फंड ट्रस्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करने का भी अनुमोदन दिया गया और उक्त कम्पनी की इक्विटी में 10 लाख रुपये का योगदान करने की अनुमति भी दी गयी थी। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को सिद्धांत रूप में एक पूर्णतया स्वाधिकृत स्टाक कम्पनी गठित करने का अनुमोदन दिया गया जो बीमा कमीशन कारोबार कर सकें जिस पर कुछ शर्तें लागू होनी चाहिए। उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र भी दिया गया कि वह कुछ शर्तों के अधीन अपने ग्राहकों को गैर-विभेदकारी निवेश परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकें।

संविभागीय निवेश

3.103 विभिन्न बैंकों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे अपने संयुक्त उद्यमों, नैशनल मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नैशनल कमाडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड आदि की इक्विटी में निवेश कर सकते है।

पारस्परिक निधियों में बैंकों के निवेश

3.104 पारस्परिक निधि में बैंकों के निवेश के संबंध में, सामान्य शेयर उन्मुख पारस्परिक निधि योजनाएं पूंजी बाजार ऋण जोखिम हेतु 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा में शामिल हैं। सामान्यतः व्यक्तिगत बैंकों की निवेश नीति कुल निवेश या कुल आस्ति के संदर्भ में पारस्परिक निधि में निवेश पर सीमा निर्धारित करती है और दर निर्धारित पारस्परिक निधि, निवेश क्षेत्र आदि में ही निवेश जैसी अन्य जोखिम प्रबंध प्रथाएं उपलब्ध कराती है। पारस्परिक निधि योजना में निवेश बैंकों के समग्र गैर-एसएलआर संव्यवहार का भाग बनता है, उपलब्ध आंकड़ा यह दर्शाता है कि प्रणालीगत स्तर पर बैंकों का भविष्य निधियों में कुल निवेश बैंकों के कुल निवेश संविभाग का एक तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा अंश बनता है। 30 जून 2004 को पारस्परिक निधि योजना में बैंकों के निवेश 13,539 करोड़ रुपये के थे जो सभी बैंकों के कुल निवेशों के मात्र 1.59 प्रतिशत बैठती हैं।

12. बैंकों के परिसमापन और समामेलन

बैंकों के परिसमापन :

3.105 31 दिसम्बर 2003 के स्थिति के अनुसार 77 बैंक परिसमापन के अधीन थे। परिसमापन की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के संदर्भ में मामले पर प्राधिकारियों/कोर्ट के परिसमापन से अनुरोध किया जा रहा है ।

बैंकों के समामेलन / विलयन

3.106 साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जो 10 अक्तूबर 2000 को गठित किया गया है, अनेक प्रतिकूल लक्षण दिखा रहा था। इसको देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार का यह सिफारिश की गयी कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 (1) के अंतर्गत उक्त बैंक को .....के अंतर्गत रख दिया जाये। उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप धारा 2 के अंतर्गत प्रगत ... का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 13 नवम्बर 2003 को कारोबार की समाप्ति से 12 अगस्त 2004 तक (इन दोनों को मिलाकर) की अवधि के लिए उक्त बैंक के संबंध में अधिस्थगन जारी किये गये । इस बीच रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलन करने के लिए भारत सरकार को एक योजना का प्रारूप पस्तुत किया। इसके बाद भारत सरकार ने साऊथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप धारा 7 के अंतर्गत के साथ समामेलन करने की योजना को 24 जून 2004 की अपनी अधिसूचना के द्वारा स्वीकृति प्रदान की। समामेलन की यह योजना 25 जून 2004 से प्रभावित हुई।

3.107 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमि. (जीटीबी)[6], जिसे नए निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने की नीति के तहत सितंबर 1994 को

[6] अध्याय VII भी देखें।

लाइसेंस जारी किया गया था, की वित्तीय स्थिति में पूंजी बाजार से संबंधित उच्च ऋण जोखिम से उपजी समस्याग्रस्त आस्तियों के कारण 2002 में गिरावट आने लगी। जीटीबी को अनुदेश दिए गए थे कि वह जोखिम भारित आस्तियों की वृद्धि रोकने हेतु विवेकपूर्ण नीति बनाएं, एनपीए की अधिकतम वसूली करें, अपनी उच्च पूंजी बाज़ार ऋण जोखिम कम करके विवेकपूर्ण सीमा तक लाएं, आस्तियों की अनर्जकता के प्रति परिचालन लाभ में से प्रावधान करें और पूंजी विस्तार हेतू तत्काल कदम उठाए। उक्त बैंक ने वसूली में और इक्विटी आगम में प्रगति की सूचना दी। तथापि, प्राप्त सूचना के अनुसार वह जून 2004 तक देशी स्रोतों से पूंजी विस्तार करने का कार्यक्रम नहीं बना पाया। बाद में, उक्त बैंक ने उसके पूनर्पूंजीकरण का विदेशी इक्विटी निवेशक निधि से प्राप्त प्रस्ताव जुलाई 2004 में प्रस्तुत किया जिसे रिज़र्व ने विवेकपूर्ण और अन्य कारणें से स्वीकार्य नहीं पाया। चूंकि उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ रही थी और उसकी शोधन क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थी, अतः उक्त बैंक के छोटे जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा करने और बैंकिंग प्रणाली के हित के लिए रिज़र्व बैंक ने 24 जुलाई 2004 को उक्त बैंक को अधिस्थान में रखने का निर्णय लिया। उक्त बैंक के विलयन का पक्का प्रस्ताव ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) से प्राप्त हुआ था। रिज़र्व बैंक ने इस बाबत ओबीसी के दृष्टिकोण की जाँच, उसकी वित्तीय स्थिति, उसका खुदरा नेटवर्क, दायरों और रण्नीतिक लाभ को ध्यान में रखकर की । तत्पश्चात, जीटीबी के जमाकर्ताओं और ओबीसी के हित और साथ ही उनकी दृढ़ता और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत रिज़र्व बैंक को प्राप्त अधिकारों के तहत और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना से 14 अगस्त 2004 को जीटीबी का विलयन ओबीसी से किया गया।